15000रू. भारतीय गैर न्यायिक 15000रू.

INDIA NON JUDICIAL

पन्द्रह हजार रुपये — RUPEES FIFTEEN THOUSAND

सत्यमेव जयते

Rs.15000 भारत INDIA Rs.15000

०२।११।०७

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH 132415

१५४२
०१।११।०७

||श्री||

//विक्रय-पत्र//

कीमत रूपये ९,००,०००/-(अक्षरी रूपये नौ लाख मात्र) इस विक्रयपत्र के पृष्ठ क्रमांक ३ पर लिखे अनुसार प्राप्त हो गये है।

बाजार मूल्य रूपये ९,००,०००/- पर मुद्रांक शुल्क चुकाया गया है।

मुद्रांक शुल्क रूपये	६३०००=००
पंचा. मुद्रांक शु. रू.	९०००=००
म्यु. मुद्रांक शु. रू.	९०००=००
	=========
योग रूपये	८१०००=००
	=========

विक्रय पत्र में क्रेता पक्ष क्रमांक १ महिला होकर उनका ५०% हिस्सा होने से भारतीय स्टॉम्प (म.प्र. संशोधन) विधेयक २०/०९/२००४ के अनुसार मूल स्टॉम्प अधिनियम की अनुसूचि-१-क में अनुच्छेद २२ के परन्तुक (छ) के अन्तर्गत दी गई २% की छूट अनुसार मुद्रांक शुल्क अदा किया है।

(१)श्रीमती ममता शर्मा पति श्री सुनील शर्मा,
निवासी ७१४,सुदामा नगर इन्दौर म.प्र.
(२)श्रीमती योगिता पाटील पति श्री मंगलेश पाटील,
निवासी ६६०,सुदामा नगर इन्दौर म.प्र.

विक्रेतादार (विक्रेतापक्ष)

-और

(१)श्रीमती ममता पति श्री दीपक गोयल,(पेन नंबर एईसीपीए-६५२३-एल)
(२)श्री दीपक पिता श्री श्रीकृष्णमुरारी गोयल,(पेन नंबर एबीक्यूपीजी-०४४१-ए)
दोनो निवासी आई-२२९,शालीमार बेंगलो पार्क इन्दौर म.प्र.

-------खरीददार (क्रेतापक्ष)

अविरत......२

1610

रसीद दस्तावेज वगैरह 17 1447

15000रु.

दफ्तर .... मुकाम

किस को दी गई	दस्तावेज की तफसीलवारी व कीमत या दस्तखत की तारीख या किस्म जो मुहरबन्द लिफाफा लिया गया हो जिसके बाबत फीस दाखिल हुई हो उसके ऊपर लिखी हुई इबारत	तादाद फीस (अगर हो तो) दाखल शुदा	रजिस्ट्री के ओहदेदार के छोटे दस्तखत
1	2	3	4
	श्रीमती ममता गोयल विक्रय - 900,000/-	7770=50 8/11/07	

तारीख 1/11/07 उप-पंजीयक

Rs.15000

मध्य प्रदेश MADHY 132416

:२:

ब्रिक्रीदार पक्ष यह विक्रयपत्र खरीददार पक्ष के हित में लिख देते है कि, विक्रेता पक्ष की मालकी व कब्जे आधिपत्य का प्लाट नंबर ७४ स्थित स्वास्थ्य नगर (विनय विहार) ग्राम कबीरखेडी तहसील व जिला इन्दौर म.प्र.का है। उक्त प्लाट विक्रेतापक्ष क्रमांक १ व २ ने दो अलग-अलग रजिस्टर्ड विक्रयपत्रों के जरिये स्वास्थ्य नगर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित,इन्दौर से क्रय किया था। प्लाट का पूर्व दिशा वाला भाग श्रीमती ममता शर्मा ने पंजीकृत विक्रयपत्र क्रमांक १-अ/५१६६ (झ) दिनांक ३१/०१/२००६ के जरिये व प्लाट का पश्चिम दिशा वाला भाग श्रीमती योगिता पाटील ने पंजीकृत विक्रयपत्र क्रमांक ५१६५ (झ) दिनांक ३१/०१/२००६ के जरिये क्रय किये थे। उक्त दोनो विक्रयपत्र उप-पंजीयक कार्यालय इन्दौर मे पंजीकृत किये हुवे है। उक्त प्लाट का कुल क्षेत्रफल १२०० वर्गफीट है। जिसपर विक्रेतापक्ष ने नगर पालिक निगम इन्दौर से स्वीकृत नक्शे अनुसार एक तल व प्रथम मंजिला आवासीय मकान का निर्माण पारंभ किया है। उक्त प्लाट एवं उसपर निर्माणाधीन आवासीय मकान का विक्रय विक्रेतापक्ष क्रमांक १ व २ ने संयुक्त रूप से क्रेतापक्ष को किया है।

सदर सम्पत्ति विक्रेता की स्वअर्जित सम्पत्ति है। इस प्रकार विक्रेता ही सदर सम्पत्ति के एक मात्र मालिक काबिज होकर विक्रेता के सिवाय इस सम्पत्ति में अन्य किसी का कोई हक, हिस्सा या शरकत नहीं है। बिक्रीदार पक्ष ने टाईटल संबंधी समस्त कागजात क्रेता को दिखा दिये है। खरीददार की संतुष्टी करा दी है।

सदर सम्पत्ति के सम्बंध मे विक्रेतापक्ष ने कोई मुखत्यार नामा आप या खास किसी व्यक्ति या संस्था के हित मे किया हुआ नही है और इस प्रकार का कोई मुखत्यार नामा वर्तमान मे प्रभावशील भी नही है।

फिलहाल यह सम्पत्ति हर प्रकार के गिरवी, बिक्री, दान, जमानत, ऋण, आड, मेन्टेनेन्स, डिक्री, आसेध, धर्मादा, देवस्थान के चार्ज, बैंकों और वित्तिय संस्थाओं ऋण, भार, चार्ज आदि से मुक्त स्थिती में है। इस विक्रयपत्र के विपरीत अन्य कोई सौदा, करार या विलेख पहले से अन्य किसी के हित में किया हुवा नहीं है। सदर सम्पत्ति के संबंध में कोई दावा या झगडा किसी भी न्यायालय में लम्बित या विचाराधीन भी नहीं है। सदर सम्पत्ति पर कोई देवस्थान या पीरस्थान नहीं है।

अविरत....३

Mamta

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

15000 रु. Rs.15000 — पन्द्रह हजार रुपये RUPEES FIFTEEN THOUSAND

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH 132417

विक्रेतापक्ष ने सदर सम्पत्ति क्रेतापक्ष को विक्रय की है। कीमत की राशि रूपये ९,००,०००/- (अक्षरी रूपये नौ लाख मात्र) मे से रूपये १,००,०००/-चेक नंबर ०६३३९१ दिनांक २६/१०/२००७ स्टेट बैंक आफ इंडिया शाखा इंडस्ट्रीयल एरिया इन्दौर के जरिये श्रीमती योगिता पाटोल को प्राप्त,रूपये ३,५०,०००/-सेंट बैंक होम्स फाईनेंस लि.द्वारा जारी बैकर्स चेक नंबर २६०७१५ दिनांक ३१/१०/२००७ सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा मील एरिया इन्दौर के जरिये श्रीमती योगिता पाटील को प्राप्त,रूपये १,००,०००/-चेक नंबर ०६३३९० दिनांक २६/१०/२००७ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा इंडस्ट्रीयल एरिया इन्दौर के जरिये श्रीमती ममता शर्मा को प्राप्त,रूपये ३,५०,०००/-सेंट बैंक होम्स फाईनेंस लि.द्वारा जारी बैकर्स चेक नंबर २६०७१४ दिनांक ३१/१०/२००७ सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा मील एरिया इन्दौर के जरिये श्रीमती ममता शर्मा को प्राप्त हो गये है। जिसकी प्राप्ति की अभिस्वीकृति विक्रेतापक्ष इस लेख के जरिये क्रेतापक्ष को प्रदान करते है। वक्त रजिस्ट्री के श्रीमान उप-पंजीयक महोदय के समक्ष कुछ भी एक पैसा तक लेना शेष नहीं रहा है।

<u>विक्रयांतर्गत सम्पत्ति का विवरण निम्नानुसार है :-</u>

यह प्लाट नंबर ७४ (चहोत्तर) एवं उसपर निर्माणाधीन आवासीय मकान स्थित स्वास्थ्य नगर (विनय विहार) ग्राम कबीरखेडी तहसील व जिला इन्दौर म.प्र.का है। उक्त प्लाट का साईज २० फीट बाय ६० फीट होकर कुल क्षेत्रफल १२०० (एक हजार दो सौ) वर्गफीट याने १११.५२ (एक सौ ग्यारह दशमलव बावन) वर्गमीटर है। जिसपर एक आवासीय मकान तल व प्रथम मंजिला निर्माणाधीन अवस्था मे है। तल मंजिल पर निर्मित का क्षेत्रफल ६५.०५ वर्गमीटर व प्रथम मंजिला पर निर्मित का क्षेत्रफल ७४.३४ वर्गमीटर है। उक्त मकान का वर्तमान मे स्ट्रक्चर तक का निर्माण कार्य पूर्ण होकर शेष निर्माण कार्य क्रेता स्वयं के व्यय से पूर्ण करावेंगे। शेष ४६.४७ वर्गमीटर खाली खुली जगह है। जिसपर किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य किया हुआ नहीं है। यह विक्रय मय तल जमीन के मालकी हक सहित,समस्त बंधे व खुले का उपर खुले आसमान तक के अधिकारों का विक्रेतापक्ष ने क्रेतापक्ष को किया है। उक्त मकान आवासीय क्षेत्र मे स्थित होकर आवासीय उपयोग का है।

<u>सम्पत्ति की चतु:सीमा निम्नानुसार है:-</u>

पूर्व में	:-प्लाट नंबर ७४-ए है।
पश्चिम में	:-प्लाट नंबर ७३-ए है।
उत्तर में	:-प्लाट नंबर ८६ है।
दक्षिण में	:-कालोनी की सडक है।

अविरत...४

Mamta

15000रु. भारतीय गैर न्यायिक 15000रु.

INDIA NON JUDICIAL

पन्द्रह हजार रुपये — RUPEES FIFTEEN THOUSAND

सत्यमेव जयते

Rs.15000 भारत INDIA Rs.15000

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH 132418

उपरोक्त बेची गई सम्पत्ति का मौके पर रिक्त आधिपत्य (एक्चुवल वेकेन्ट पजेशन) प्रत्यक्ष रूप से क्रेता को विक्रेतापक्ष ने मालिक नाते से सुपुर्द कर दिया है। कब्जा मिलना खरीददार ने स्वीकार किया है।

नगर पालिक निगम इन्दौर का सीमाधिकार क्षेत्र है। समस्त कर,टैक्स आदि विक्रेता अदा करते आये है। भविष्य मे उक्त सम्पत्ति के संबंध में समस्त कर, टेक्स आदि खरीददार स्वयं दिया करेंगे। विक्रयपत्र पंजीयन दिनांक से पूर्व का यदि कोई कर, टेक्स आदि बकाया निकला तो उसे अदा करने की समस्त जवाबदारी विक्रेतापक्ष की रहेगी। सदर सम्पत्ति खरीददार अपने नाम पर अपने खर्चे से संबंधित कार्यालयों में व नगर निगम में नामान्तरण करवायेंगे औपचारिक सहयोग के लिये विक्रेता सदैव तैयार तत्पर रहेंगे।

अत: इन्द्रियों के स्वस्थ व स्थिर बुद्धि की अवस्था में, किसी के रूचि दिलाने आदि के बगैर उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति अमला इससे संबंध रखने वाले समस्त स्वत्व व अधिकारों, सुखाधिकारों, इसमेन्ट राईट्स, प्रिविलेजेस, के सहित किसी भी स्वत्व व अधिकार को शेष रखे बिना खरीददार को अंतरित की है। बिक्रीदार ने अपने समस्त स्वत्व व अधिकार विक्रयांतर्गत सम्पत्ति पर से उठा लिये, समाप्त कर लिये है। खरीददार को अपनी ही तरह पूर्ण रूप से मालिक अधिपति स्वामी बना दिया है। जो भी अधिकार विक्रेता को प्राप्त थे, वह सब इस विक्रयपत्र के द्वारा क्रेता को प्राप्त हो गए है।

अन्तरित की गई सम्पत्ति के खरीददार पूर्ण रूप से मालिक काबिज हो गये है। अब क्रेता अपने वंश परंपरा तक इसका उपभोग व उपयोग लाभ, भाड़ा आदि प्राप्त करने के पात्र रहेंगे। चाहे जब चाहे जिसे व चाहे जिस प्रकार इस सम्पत्ति का विक्रय हस्तांतरण करें। इस पर विधिवत निर्माण कार्य आदि करे। यह सब अधिकार इस विक्रयपत्र के द्वारा क्रेता को प्राप्त हो गये है।

अविरत...५

Mamta

15000रु. भारतीय गैर न्यायिक 15000रु.

INDIA NON JUDICIAL

पन्द्रह हजार रुपये

RUPEES FIFTEEN THOUSAND

सत्यमेव जयते

Rs.15000 भारत INDIA Rs.15000

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH 152419

अब यदि विक्रेता का कोई साझी या शरीक वारिस आदि अग्रसर होकर किसी किस्म का दावा बेची गई सम्पत्ति के प्रति करे तो इसकी जवाबदारी विक्रेतापक्ष की रहेगी तथा क्रेतापक्ष को किसी तरह का नुकसान नहीं होने देवेंगे। विक्रेता के अधिकार दोष के कारण सदर सम्पत्ति क्रेता के कब्जे और अधिकार से निकल जावे या किसी प्रकार के किसी दावा करने से या किसी भार या ऋण के कारण कुछ रूपया खरीददार को अदा करना पड़े तो उन्हें अधिकार होगा कि वे विक्रय पत्र का चूकता रूपया अथवा अवसर होने पर आनुपातिक द्रव्य लगा हुआ रूपया व्यय व हानि जो उठानी पडे व सब बेची गई सम्पत्ति से, विक्रेता से व विक्रेता के वारिसान आदि से जैसे भी हो वसूल कर ले। वारिसान आदि की जवाबदारी विक्रेतापक्ष वहन करेंगे। विक्रेतापक्ष को इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी।

उपरोक्त विक्रय कि गई सम्पत्ति शासन या किसी भी विभाग द्वारा अधिगृहण में ली हुई नहीं है। सदर सम्पत्ति के विक्रय को कोई कानूनी अवरोध नहीं है। नगर एवं ग्राम निवेश अधि. १९७३ की बाधा नहीं है।

इस विक्रयपत्र में प्रयुक्त किसी भी शब्द वाक्य या प्रतिश्रव को भविष्य में और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिये, अधिक विस्तार या व्याख्या या स्पष्टिकरण की आवश्यकता होने पर खरीददार को या जिसे भी आवश्यकता हो उनके व्यय पर अन्य आवश्यक दस्तावेज, संशोधनपत्र, सहमतिपत्र, एडमिशन डीड, शपथपत्र, प्रार्थनापत्र, उत्तर आदि का निष्पादन, सम्पादन, पंजीयन, अटेस्टेशन, अटथन्टीकेशन, सत्यापन आदि कराने को सदा तत्पर तैयार व बाध्य रहेंगे।

उभयपक्ष विक्रीदार (विक्रेता) एवं खरीददार (क्रेता) में एतद् द्वारा उनके वारिस, उत्तराधिकारी, दायाधिकारी, स्वत्व, गृहिता, हितग्राही, उत्तरजीवी, समनुदेषित, असाईनी, नामिनी, स्थानापन्न स्वत्वार्पण प्राप्त कर्तागण, प्रबन्धक, व्यवस्था कर्तागण एवं वैद्य प्रतिनिधी आदि आदि का समावेश है और यह विक्रयपत्र व इसकी समस्त शर्ते उन पर भी समान रूप से बन्धन कारक रहेगी व इनके अधिकार व लाभ भी समान रूप से प्राप्त रहेंगे। इस विक्रयपत्र का सम्पूर्ण खर्चा क्रेतापक्ष ने वहन किया है।

अविरत...६

प्लाट नंबर ७४ (चहोत्तर) एवं उसपर निर्माणाधीन आवासीय मकान स्थित स्वास्थ्य नगर (विनय विहार) ग्राम कबीरखेडी तहसील व जिला इन्दौर म.प्र.का है, का मौका नक्शा

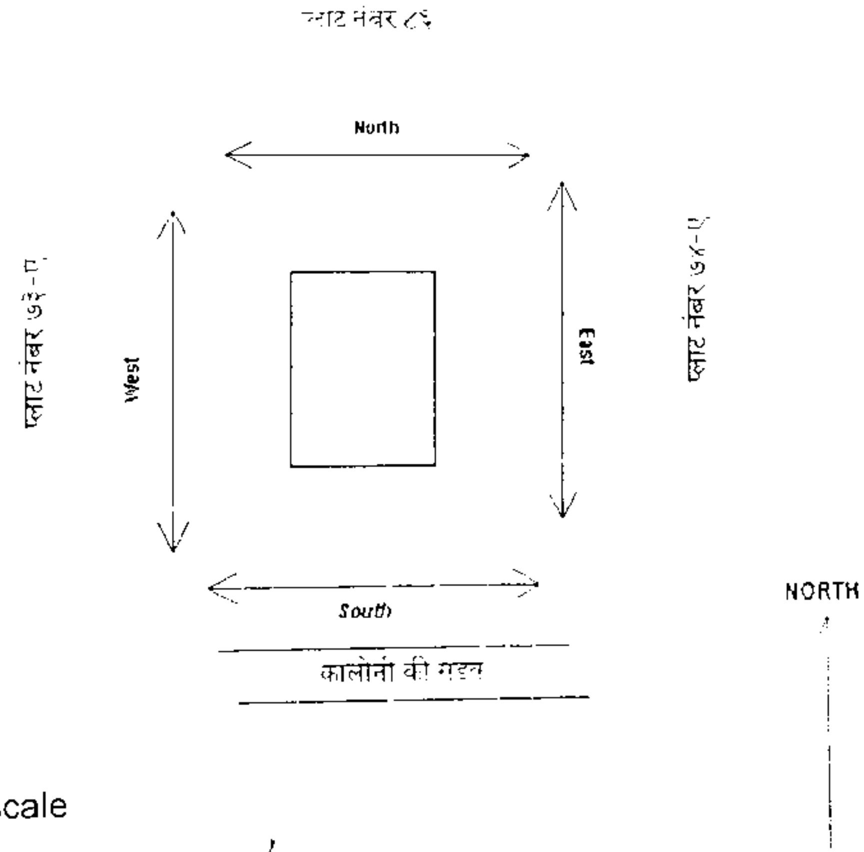

Not to scale

Mamta

1

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

:६:

खरीददार ने मौके पर जाकर सम्पत्ति को देख लिया, पूर्ण सन्तुष्टि कर ली है। सम्पत्ति के असल कब्जा भी विक्रेतापक्ष ने क्रेतापक्ष को सुपुर्द कर दिया है।

यह विक्रयपत्र आज इंदौर में लिखा गया है, उभयपक्ष द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार लिखा गया है, जिसे पढ़कर, पढ़वाकर, सुनकर, समझकर स्वस्थ्य व स्थिर बुद्धि की अवस्था में बगैर किसी दबाव के गवाहों के समक्ष अपनी सही की है, ताकि प्रमाण रहे। गवाहों ने निष्पादन के समय उभयपक्ष के समक्ष निष्पादन की गवाही की है। ताकि वक्त जरूरत काम आवे।

विक्रयपत्र में कोई काट छांट नहीं है।

दिनांक: [illegible]-२००३ इंदौर

सही-बिक्रीदार (विक्रेतापक्ष)

गवाह: [illegible]

[illegible]

सही-खरीददार (क्रेतापक्ष)

Mamta

[illegible]

इंदौर

मेरे द्वारा प्रारूपित एवं मेरे कार्यालय में टंकित

एडव्होकेट

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हज़ार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

[illegible]

दिनांक [illegible]/११/२००७

1) 36.7
30-10-07

30 OCT 2007

02/11/2007
84/90
129
1618

विवेक शर्मा
स्टाम्प वेंडर
1793-D, सुदामा नगर, इन्दौर

5

02.11.2007

73345
पंजीयन शुल्क 250
योग रु. 73,595

15366
30-10-02

26 OCT 2007

1612

02/11/07

15365
30-10-07

1580
5/-

पंजीयन कार्यालय, इन्दौर
30 OCT 2007
उप पंजीयक

विवेक शर्मा
स्टाम्प वेंडर
1793-D, सुदामा नगर, इन्दौर

10364
30-11-07

30 OCT 2007

1530
30-10-07

30 OCT 2007

1/11/07

1/11/07

Mamta

1/11/07

1/11/07

15/02
30/10/07

1500/2

जिला पंजीयालय, इन्दौर
30 OCT 2007

विक्रेता:- (1) श्रीमती ममता रानी पति कुनाल रानी
निवासी - 314 सुदामा नगर इन्दौर
(2) श्रीमती शोभिता पाटील पति मंगलेश पाटील
निवासी - 660 सुदामा नगर इन्दौर

क्रेता:- (1) श्रीमती ममता पति दीपक गोयल
(2) दीपक पिता श्री कृष्णमुरारी गोयल
दोनों नि. आर. 229 शालीमार बंगलो पार्क इन्दौर

[illegible] प्रमाणित करता हूँ कि [illegible]
[illegible] इन्दौर [illegible] मेहता [illegible]
[illegible]

(1) रवि पिता कैलाशचन्द
नि. 81 स्वास्थ्य नगर इन्दौर
(2) पंकज पिता गोवर्धनलाल सिंघल
नि. [illegible] इन्दौर

[illegible]
1/11/07

15361 से 153675

30-10-07

$\frac{15000}{5} + \frac{15000}{1} + \frac{1100}{1} = 81000$

~~[illegible] श्रीमती ममता पति दीपक गोयल नि. डी-229, [illegible]~~

~~[illegible]~~

~~श्रीमती ममता पति श्री सुनील [illegible] नि. 715, [illegible]~~

कीमत 800000 [illegible]

[illegible]

पंजीयन कार्यालय, इन्दौर

30 OCT 2007

[illegible]	63000=00
[illegible]	9000=00
[illegible]	9000=00
[illegible]	
योग	81000=00

श्रीमती ममता पति दीपक गोयल

Mamta

M

1 NOV 2007

Mamta